न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03/2018

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
गिरधरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाखरपुरा (डोकर) तहसील गडरारोड़ हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर		1. तहसीलदार गडरारोड़ 2. लूणसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. चन्दनसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. छूगसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाखरपुरा (डोकर) तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 5. मोतीराम पुत्र प्रभुराम 6. भूराराम पुत्र मोतीराम 7. पुरखाराम पुत्र मोतीराम 8. बालाराम पुत्र मोतीराम 9. अमेदाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी जैसार तहसील चौहटन हाल निवासी भाखरपुरा (डोकर) तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर 10. श्रीमाती लाली पत्नी सुराब जाति मुसलमान निवासी लालासर तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम खानियानी के नामान्तरकरण सं. 28 स्वीकृति दिनांक 31.08.1976 जो तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 स्वयं उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रोफार्मा पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 02/02/2021

1. अपीलांट की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा खानियानी के नामान्तरकरण सं. 28 पर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

तहसीलदार शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.1976 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त इस न्यायालय के निर्णय दिनाँक 10.12.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार गडरारोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक खातेदार हीरा वल्द मूला के विधिक वारिसान की जाँच कर उन्हें नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से नामान्तरकरण कार्यवाही सम्पन्न करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा द्वितीय अपील संख्या 1/2020 एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 द्वारा द्वितीय अपील संख्या 251/2019 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों द्वितीय अपीलों में सुनवाई के दौरान पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनाम प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 28 को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया। इस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.02.2020 के द्वारा अपीले स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2019 को निरस्त करते हुये मूल राजीनामा प्रेषित कर निर्देश दिये कि राजीनामा का विधि अनुरूप परीक्षण करें तथा राजीनाम का तस्दीक करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें। इस पर पत्रावली पुनः नंबर पर कायम की जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं राजीनामा तस्दीक कराने हेतु सूचित किया गया।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा खानियानी के खसरा नम्बर 1238 रकबा 116–09 बीघा भूमि हीरा वल्द मूला कौम वजीर साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार हीरा के फोत होने पर हल्का पटवारी खानियानी द्वारा नामान्तरकरण सं. 28 भंवरा वल्द हीरा कौम वजीर साकिन देह के नाम दायर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 31.08.1976 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2017 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन [illegible] तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पढकर [illegible] सही होना स्वीकार किये जाने पर तस्दीक [illegible] में शामिल किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 ने प्रकट किया कि विवादित भूमि हीरसिंह उर्फ हीरा वल्द मूला की खातेदारी में दर्ज थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा मृतक हीरा के विधिक वारीसान के रूप में भंवरा उर्फ भंवरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 28 दायर कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.08.1976 को स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व मृतक के विधिक वारीसान की जांच नहीं की और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस दिया गया। यद्यपि अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधानों के विपरित पारित किया गया हैं किन्तु अब पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है तथा अपीलांट को उसके हिस्से में आने वाली भूमि के बदले पारिवारिक बंटवाडे में अन्य संपत्ति दी जाकर उसका हक–हिस्सा संतुष्ट किया जा चुका है। चूंकि विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 व 10 को विक्रय की जा चुकी है ऐसे में अब न्यायिक कार्यवाही को इसी जगह विराम देते हुए लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने आपस में राजीनाम करते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 28 को यथावत रखा जाना स्वीकार किया है। अतः माफिक राजीनामा उक्त अपील का निस्तारण करते हुए निर्णय फरमावें।

4. हमने पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख एवं राजीनामा दस्तावेज का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खानियानी के खसरा नम्बर 1238 रकबा 116–09 बीघा भूमि हीरा वल्द मूला कौम वजीर साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार हीरा के फोत होने पर हल्का पटवारी खानियानी द्वारा नामान्तरकरण सं. 28 भंवरा वल्द हीरा कौम वजीर साकिन देह के नाम दायर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनाँक 31.08.1976 को स्वीकृत कर दिया। पक्षकारान का कथन है कि यद्यपि अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है किन्तु अब पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है तथा अपीलांट को उसके हिस्से में आने वाली भूमि के बदले पारिवारिक बँटवाड़े में अन्य संपत्ति दी जाकर उसका हक–हिस्सा संतुष्ट किया जा चुका है। चूंकि विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 व 10 को विक्रय की जा चुकी है ऐसे में अब न्यायिक कार्यवाही को इसी जगह विराम देते हुए लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने आपस में राजीनामा करते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 28 को यथावत रखा जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा उक्त अपील में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है तथा उसने लिखित राजीनामा के द्वारा अपना हक–हिस्सा का परित्याग किया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अपील का इसी प्रक्रम में निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त **तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के** परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील जरिये राजीनाम खारिज की जाकर मौजा खानियानी के नामान्तरकरण सं. 28 स्वीकृति दिनांक 31.08.1976 को यथावत बहाल रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.05 12:10:23 IST
Reason: SelfAttested